न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1, मैनपुरी।

UPMP010061742025
VIJAY KUMAR DUNGRAKOTI,J.O.No- UP06156
Criminal Misc. Cases/519/2025

राज्य बनाम महादेवी।
मुकदमा अपराध सं. 658/2025
धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट।
थाना कोतवाली जिला मैनपुरी।

दिनांक 11.05.2026 आदेश

प्रार्थिनी महादेवी पत्नी रामसिंह निवासी ग्राम कुन्हैया अहलादपुर, अभिनयपुर पाठकपुर इटावा की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी वाहन/मोटर साइकिल रॉयल इनफील्ड पंजीयन संख्याUP–75AU764, इंजन नं० J3A5FGR1291673, चैसिस नं० ME3J3D5FGR1006701 का पंजीकृत स्वामिनी है तथा प्रार्थिनी के पास उक्त वाहन से सम्बन्धित कागजात मौजूद है जो पूर्ण एवं वैध है। प्रार्थिनी का उक्त वाहन मुकदमा अपराध संख्या 658/2025 अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट थाना कोतवाली जिला मैनपुरी में निरूध है। उक्त वाहन को प्रार्थिनी का दामाद मांग कर ले गया था और उन्हीं के पास से उक्त मोटरसाइकिल पकडी गयी है। उसके दामाद से जो बरामदगी दिखाई गयी है वह झूॅठी है। वाहन के लम्बे समय तक निरूद्ध रहने से वाहन के क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः उपरोक्त वाहन प्रार्थिनी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिनी द्वारा स्वंय का आधार कार्ड की छायाप्रति एवं वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र व बीमा की प्रति दाखिल की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया कि उक्त वाहन का प्रयोग मादक पदार्थ के परिवहन के लिए किया जा रहा था यदि वाहन को रिलीज किया जाता है तो उसका प्रयोग पुनः मादक पदार्थों के परिवहन में किया जायेगा। अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन/मोटर साइकिल का मुकदमा अपराध संख्या 658/2025 अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट थाना कोतवाली जिला मैनपुरी में प्रयुक्त करना दर्शित किया गया है तथा उक्त वाहन को जब्त किये जाने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2026 को खारिज किया जा चुका है। वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी महादेवी प्रश्नगत मोटर साइकिल की पंजीकृत स्वामिनी है।

अतः उक्त परिस्थितियों में जबकि वाहन को जब्तीकरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। प्रार्थिनी महादेवी के पक्ष में उक्त वाहन को अवमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थिनी महादेवी द्वारा प्रस्तुत रिलीज प्रार्थना पत्र संख्या स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वाहन/मोटर साइकिल रॉयल इनफील्ड पंजीयन संख्या UP–75 A.U.764 को महादेवी के हक में निम्म शर्तों के अन्तर्गत अवमुक्त किया जाय।

1. प्रार्थिनी द्वारा मु० 2,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि

की एक प्रतिभू दाखिल करें।

2. प्रार्थिनी/ पंजीकृत स्वामिनी प्रश्नगत मोटर साइकिल को दौरान विचारण न तो विक्रय करेगा और न ही उसमें कोई आधारभूत परिवर्तन करेगा।
3. वाद के दौरान अथवा वाद के अंतिम निस्तारण के समय यदि न्यायालय द्वारा वाहन को तलब किया जाता है तो प्रार्थिनी/ पंजीकृत स्वामिनी प्रश्नगत वाहन/ मोटर साइकिल न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।

दिनांक 11.05.2026

(विजय कुमार डुँगराकोटी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6156

VIJAY KUMAR DUNGRAKOTI

Digitally signed by VIJAY KUMAR DUNGRAKOTI
Date: 2026.05.11 13:06:28 +0530